

पत्रांक:- 2591

बिहार सरकार

दिनांक:- 19.09.2023

**बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना**

विज्ञापन सं०-07/2022 बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए०एन०एम०)

आवश्यक सूचना

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए०एन०एम०) के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या-07/2022 प्रकाशित किया गया जिसमें दिनांक-02.08.2022 से 01.09.2022 तक तथा अंतिम रूप से दिनांक-15.09.2022 तक तिथि विस्तारित करते हुए ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किया गया।

स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-932(6), दिनांक-12.06.2023 एवं पत्रांक-1270(6), दिनांक-02.08.2023 द्वारा प्राप्त परामर्श के आलोक में विज्ञापन सं०-07/2022 ए०एन०एम० के पद पर नियुक्ति बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मीडवाईफ) संवर्ग नियमावली, 2018 के स्थान पर "बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मीडवाईफ) संवर्ग नियमावली, 2023" के आधार पर किया जाना है।

तदनुसार प्रकाशित विज्ञापन संख्या-07/2022 के विभिन्न कंडिकाओं को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

(A) विज्ञापन की कंडिका-04 चयन की प्रक्रिया को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

कंडिका-04 चयन की प्रक्रिया

- (i) **प्रथम चरण**- आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रथम चरण में **Computer Based Test** के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा।
 - (a) उक्त परीक्षा का प्रश्न-पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार के होंगे। परीक्षा में 100 अंकों का एक प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या-100 होगी।
 - (b) परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल अंक 100 होंगे।
 - (c) ए०एन०एम० हेतु निर्धारित अद्यतन पाठ्यक्रम (Curriculum) के अनुसार प्रश्न पुछे जायेंगे। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के Website पर अलग से प्रकाशित कर दिया गया है।
 - (d) प्रश्न-पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे।
 - (e) उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में Computer Based Test के माध्यम से आयोजित किया जाएगा एवं एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम समानीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा।
 - (f) परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन (Negative Marking) लागू किया जायेगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 01 अंक देय होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु (0.25) काटा जाएगा।
 - (g) उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की समानीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा-फल प्रकाशित किया जाएगा।
 - (h) समानीकरण (Normalization) के पश्चात् प्राप्त अंक के आधार पर मेधासूची तैयार किया जाएगा।

- (i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के द्वारा लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जायेंगे।

नोट:-प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जायेगा।

- (ii) **द्वितीय चरण-चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार तैयार की जायेगी:-**

(क)	प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक के लिए	60 अंक
(ख)	उच्चतर कोर्स के लिए- (जी0एन0एम0-10 अंक, बी0एस0सी0 (नर्सिंग), पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 (नर्सिंग), एम0एस0सी0 (नर्सिंग)-15)	15 अंक
(ग)	बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निगम आदि) अस्पतालों में कार्य का अनुभव प्रतिवर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा)	25 अंक
	कुल:-	100 अंक

नोट:-प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंको का अवधारण प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके किया जायेगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो, तो उसे $50 \times 0.6 = 30$ अंक दिये जायेंगे।

- (iii) अभ्यर्थी, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अर्थात् दिनांक:-02.08.2022 तक बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निगम आदि) अस्पतालों में संविदा के आधार पर ए०एन०एम० के पद पर कार्यरत अवधि का कार्यानुभव संबंधी प्रमाण-पत्र जो संबंधित अस्पताल के अधीक्षक/उपधीक्षक/निदेशक/संबंधित जिला के सिविल सर्जन द्वारा निर्गत हो, आवेदन के विहित कॉलम में दर्ज करेंगे। आवेदन में कार्यानुभव का दावा नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक/आयु सीमा में छुट देय नहीं होगा। कार्यानुभव अवधि की गणना 02.08.2022 तक ही की जायेगी।

- (iv) कार्यानुभव प्रमाण-पत्र हेतु परिशिष्ट-1 में प्रारूप (Format) संलग्न किया गया है। इस प्रारूप में ही कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिये जाने पर कार्यानुभव के अंकों एवं आयु सीमा में छुट का लाभ दिया जायेगा। इस प्रारूप से अलग किसी अन्य प्रारूप में कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिये जाने पर अंकों का लाभ देय नहीं होगा।

- (v) लिखित परीक्षा के उपरांत कंडिका-4(ii) में अंकित प्रावधानुसार अभ्यर्थियों का कोटिवार मेधासूची तैयार कर Counselling हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

(B) विज्ञापन की कंडिका-7(ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

- (i) कंडिका-4(ii)(ग) के अन्तर्गत कार्य अनुभव का दावा करनेवाले उम्मीदवारों के द्वारा ए०एन०एम० के पदों पर बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निगम आदि) अस्पतालों में संविदा पर कार्यरत रहने का कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-1 में संलग्न प्रारूप (Format) में निर्गत करने के लिए संबंधित अस्पताल के अधीक्षक/उपाधीक्षक/निदेशक एवं संबंधित जिला के सिविल सर्जन सक्षम प्राधिकार होंगे।

- (C) विज्ञापन की कंडिका-5 आरक्षण के अन्तर्गत उपकंडिका-(viii) निम्नवत् जोड़ा जाता है:-
- (i) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-10668, दिनांक-29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-2(r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (40% या उससे अधिक) से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक की सुविधा अनुमान्य करायी जा सकेगी। जिस अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें ऑनलाईन आवेदन के विहित कॉलम में श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम में Yes करना अनिवार्य होगा।
- (D) नये नियमावली के आधार पर विज्ञापन में प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किये जाने के फलस्वरूप अभ्यर्थियों से आयोग के Website- www.btsc.bih.nic.in एवं www.pariksha.nic.in पर दिनांक-22.09.2023 से 06.10.2023 तक आवेदन करने का पुनः मौका दिया जाता है।
- (i) पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों द्वारा पुनः आवेदन किये जाने पर दोनों आवेदन रद्द कर अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।
- (ii) आयु सीमा की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि विज्ञापन के कंडिका-03 के अनुसार दिनांक-01.08.2021 होगी।
- (iii) कार्यानुभव अवधि की गणना विज्ञापन के कंडिका-04(iv) के अनुसार दिनांक-02.08.2022 तक ही की जायेगी।
- (iv) विज्ञापन की कंडिका-9 के अनुसार सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र (यथा-A.N.M का Degree, A.N.M का अंक पत्र, उच्चतर योग्यता (G.N.M/B.Sc(Nursing)(Basic/Post Basic), M.Sc (Nursing) का प्रमाण-पत्र अथवा Provisional प्रमाण-पत्र) दिनांक-01.09.2022 तक का निर्गत होने पर मान्य होगा। केवल बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना का निबंधन प्रमाण-पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र एवं कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिनांक-06.10.2023 तक निर्गत होने पर मान्य किया जायेगा।
- (E) दिनांक-02.08.2022 से 15.09.2022 तक की अवधि में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के द्वारा नये नियमावली (बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मीडवाईफ) संवर्ग नियमावली, 2023) के प्रावधानानुसार आवेदन में संशोधन (Modification) करने हेतु एक अंतिम मौका दिया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा उच्चतर योग्यता, कार्यानुभव एवं श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता (केवल दिव्यांगता का दावा किये हुए अभ्यर्थियों हेतु) का दावा करने हेतु आयोग के Website- www.btsc.bih.nic.in अथवा इस लिंक <http://103.75.167.252/ANM> पर विशेष व्यवस्था के तहत दिनांक-22.09.2023 से 06.10.2023 तक दावा प्राप्त किया जायेगा।
- (i) अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर registered मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर अपना दावा दर्ज कर वांछित प्रमाण-पत्र Upload करना सुनिश्चित करेंगे।
- (ii) उच्चतर योग्यता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु दावा के अनुरूप (G.N.M/B.Sc(Nursing)(Basic/Post Basic), M.Sc (Nursing) का प्रमाण-पत्र अथवा Provisional प्रमाण-पत्र) Upload करना अनिवार्य होगा। उच्चतर योग्यता (G.N.M/B.Sc(Nursing)(Basic/Post Basic), M.Sc (Nursing) का प्रमाण-पत्र अथवा Provisional प्रमाण-पत्र) दिनांक-01.09.2022 तक का निर्गत होने पर मान्य होगा।

- (iii) कार्यानुभव का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु विज्ञापन के कंडिका-07(ख) के अनुसार कार्यानुभव प्रमाण-पत्र Upload करना अनिवार्य होगा। कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिनांक-06.10.2023 तक निर्गत होने पर मान्य किया जायेगा। कार्यानुभव अवधि की गणना दिनांक-02.08.2022 तक की जायेगी।
- (iv) श्रुतिलेखक (Scribe)के संबंध में बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश मान्य होगा।
- (v) उक्त अवधि में संशोधन (Modification) करने की पूर्ण जवाबदेही स्वयं अभ्यर्थी की होगी। उक्त अवधि के पश्चात् संशोधन (Modification) का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

19.9.2023
प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।